विचार बिन्दु

जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। –कहावत

न्यायपालिका की अग्नि परीक्षा

जब भी लोकतंत्र के दो स्तंभ, कार्यपालिका और विधायिका,संविधान के विपरीत काम करें तो तीसरे स्तंभ न्यायपालिका से यह अपेक्षा रहती है कि वह विभिन्न कानूनों और निर्णयों को संविधान की कसौटी पर कसते हुए अपना निर्णय पारित करेगी। सामान्यतया ,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इस काम को भली भांति करते रहे हैं और जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते रहे हैं। अपवाद स्वरूप, कुछ प्रकरण यदा कदा अवश्य सामने आते हैं ,जब लोगों को लगता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के गलत कामों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। विधायिका और न्यायपालिका के बीच अहम की लड़ाई भी रही है। कानून बनाने का अधिकार संसद/विधान सभा का है, किंतु उसकी संवैधानिकता पर निर्णय करने का अधिकार केवल न्यायपालिका का है। जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन भली भांति नहीं करे, जिसके कारण नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो, तो उसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका बचाव में आती रही है। आवश्यक होने पर न्यायाधीश, अदालत की अवमानना की कार्यवाही भी करते हैं और अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से भी बुलाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका को निरंकुश होने से रोकने में भारत की न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

गत कुछ सालों में अवश्य इस प्रकार के प्रकरण उच्चतम न्यायालय में गए हैं, जिनकी सुनवाई लंबे समय तक नहीं होने से वे प्रकरण स्वत: प्रभावहीन हो गए, जैसे धारा 370 हटाने तथा महाराष्ट्र के विधायकों के दल बदल का प्रकरण। इस प्रकार के निर्णय भी दिए गए जो जनता की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। ऐसा भी प्रतीत हुआ कि न्यायपालिका, केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रही है या उसके अनुकूल निर्णय कर रही है। विधायिका और न्यायपालिका में नजदीकियां हाल के दिनों में बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। पाठकों के लिए जानना दिलचस्प होगा कि उच्च न्यायालय /उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां स्वयं न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार द्वारा की जाती है। सरकार की भी सहमति आवश्यक हो जाती है। कई मामले ऐसे आए हैं, जब उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद , सरकार ने कुछ न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं किया। केंद्र सरकार, न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर भी बहुत प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पाई है ,क्योंकि न्यायाधीशों को संविधान के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। इसी के चलते, जब कभी न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वह या तो संसद तक पहुंच ही नहीं पाई और जब पहुंची भी, तो महाभियोग के निर्णय के पहले ही संबंधित न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया। आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के माध्यम से नहीं हटाया जा सका है। कुल मिलाकर, जजों की नियुक्ति एवं उनको हटाने का काम भी राजनीति से अछूता नहीं रह गया है। न्यायमूर्ति केशव वर्मा का ताजा उदाहरण सामने है जब उनके आवास से करोड़ों के अध जले नोट बरामद होने पर भी केवल उनका स्थानांतरण दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया गया।

न्यायालय किस प्रकार से सरकार के गलत कामों को रोकने में प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, इसका उदाहरण इलेक्टोरल बॉन्ड सम्बन्धी निर्णय में सामने आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को तो उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया, किंतु हजारों करोड़ रुपये जो राजनीतिक दलों तक पहुंचा उसके बारे में कोई निर्णय न्यायालय ने नहीं दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि असंवैधानिक और गैरकानूनी योजना के माध्यम से राजनैतिक दलों, विशेषकर सत्ताधारी दल को मिला धन उनके ही पास रहा। इसी प्रकार चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में मतगणना में हेराफेरी के वीडियो प्रमाण मिलने पर, सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम को तो ठीक कर दिया, किंतु गड़बड़ी करने वाले अनिल मैसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसे सत्ताधारी दल के प्रति उदारता ही माना जा सकता है ।

सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री का गणेश पूजा के समय जाना और आरती करना आश्चर्य की बात थी। जब प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश के घर जाएंगे तो उनकी मंशा के बारे में चर्चा स्वाभाविक है। इसका प्रभाव महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर होने की संभावना बन जाती है। कुछ वर्षों में यह भी देखा गया है कि सरकार अपनी विचारधारा में विश्वास रखने वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रमुखता से कर रही है। यही न्यायाधीश लंबे समय तक उच्च न्यायपालिका में रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पदों तक पहुंचेंगे। जब न्यायाधीश बनाना ,उपकार का रूप मान लिया जाता है तो फिर उस उपकार का ऋण, समय आने पर चुकाने का प्रयास तो किया ही जाता है।

न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति स्वयं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी करते रहे हैं। विख्यात वकील प्रशांत भूषण ने तो सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीशों के नाम, सील बंद लिफाफे में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को सौंपे थे ,किंतु उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

"वन नेशन वन इलेक्शन" का कानून बनाने का बिल जब संसद में गया तो वहां पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ इस विषय पर चर्चा करने का कार्यक्रम बनाया था। यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ही बना होगा। जब कपिल सिब्बल ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से इस पर आपत्ति की, तो संसदीय समिति का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निरस्त कर दिया। वैसे भी इस प्रकार की चर्चा करना न्यायिक दृष्टि से कतई उचित नहीं था ,क्योंकि यह प्रकरण, अंतत: निर्णय हेतु सर्वोच्च न्यायालय के पास ही आएगा। यदि न्यायाधीश कानून बनाते समय ही चर्चा में शामिल हो जाते, तो निर्णय की निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती। अब हम उस प्रकरण की बात करेंगे ,जो आजकल सर्वाधिक चर्चा में है और जिस पर पूरा देश आंदोलित है। यह है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का प्रकरण। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाई के बावजूद एस आई आर पर स्थगन नहीं दिया। यह मामला लगभग डेढ़ वर्ष से उच्चतम न्यायालय में लंबित है और वहां पर अनेक बार बहस हो चुकी है। योगेंद्र यादव, ए डी आर और अन्य राजनीतिक दलों ने एस आई आर की असंवैधानिकता और इसकी अनेक खामियों के बारे में न्यायालय में कई बार बहस की, किंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाना, एक रहस्य बनकर रह गया है।

जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन भली भांति नहीं करे, जिसके कारण नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो, तो उसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका बचाव में आती रही है। आवश्यक होने पर न्यायाधीश, अदालत की अवमानना की कार्यवाही भी करते हैं और अधिकारियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से भी बुलाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका को निरंकुश होने से रोकने में न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बिहार में जहां सबसे पहले एस आई आर के माध्यम से जिन लोगों के नाम मृतक बता कर काट दिए गए, उनमें से कुछ व्यक्तियों को तो योगेंद्र यादव ने न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित भी कर दिया था। विभिन्न प्रकार के डाक्यूमेंट्स मांग कर नागरिकों को बहुत परेशान किया जा रहा था। एस आई आर की असंवैधानिकता और इसके अंतर्गत लिए गए विभिन्न प्रकार के निर्देशों के कारण लाखों मतदाताओं के नाम काटने के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बावजूद एस आई आर को जारी रहने दिया। अब यह पूरे देश में कर दी गई है और लगभग साढे तेरह करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए।

इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव आयोग के नाम पर जो भी निर्णय लिए गए , वे निर्णय वास्तव में आयोग के नहीं अपितु अकेले ज्ञानेश कुमार के थे। शेष दोनों आयुक्तों ने कई निर्णयों पर आपत्ति भी जताई थी। अब पोल खुलने के बाद और व्यापक जन आंदोलन के कारण कई निर्णय आयोग ने बदल दिए। यही तथ्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पहले वाले निर्णय एकदम गलत थे। चुनाव आयोग ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया है कि एस आई आर कराने का कोई निर्णय चुनाव आयोग ने नहीं लिया था। चुनाव आयोग के सारे निर्णय अकेले ज्ञानेश कुमार अपने स्तर पर ले रहे थे। इन विषयों के बारे में कभी आयोग की बैठक ही नहीं हुई जबकि ऐसा करना कानूनन अनिवार्य था। आगामी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से रिकॉर्ड मांगा है। केवल इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय एस आई आर की प्रक्रिया पर रोक लगा सकता है कि सभी निर्णय आयोग के नहीं अपितु अकेले ज्ञानेश कुमार के थे। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का काम केवल संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करके ही हो सकता है, जो संख्या बल के समीकरण के आधार पर अभी संभव नहीं है।

अब केवल एक ही रास्ता बचता है कि ज्ञानेश कुमार जनता के दबाव में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दें। इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुंबई में गांधी जयंती पर बहुत विशाल प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में भी 2 अक्टूबर से लगातार प्रदर्शन जारी है। 3 अक्टूबर के प्रदर्शन में तो विख्यात वकील कपिल सिब्बल, सूचना के अधिकार की प्रमुख कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, "आइसा" अध्यक्ष नेहा बोरा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आदि कई लोग सम्मिलित हुए। इन्हें सड़कों पर घसीटकर बसों में बलपूर्वक ठूंस कर दिल्ली से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। इस प्रकार विरोध प्रदर्शन को कुचलने का काम तो ब्रिटिश सरकार के समय भी नहीं होता था। सरकार को शायद यह समझ में नहीं आ रहा है कि जितना इस आंदोलन को दबाया जाएगा, उतना ही यह विकराल रूप लेता जाएगा। ज्ञानेश कुमार को अब तक नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। शायद वे सरकार के इशारे का इंतजार कर रहे हैं।

यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो भी कर रहे है वह सत्ताधारी दल की इच्छानुसार ही कर रहे हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि देश मे जन आंदोलन विकराल रूप न ले, तो उसे तत्काल संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एस आई आर को निरस्त कर देना चाहिए। साथ ही जून, 2025 की मतदाता सूचियों को बहाल करने का आदेश देना चाहिए। चुनाव आयोग की सभी पत्रावलियों में देखें कि क्या एस आई आर संबंधी जो भी निर्णय लिए गए, वे सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए या नहीं? यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश अराजकता की स्थिति में बढ़ सकता है जो न लोकतंत्र के लिए अच्छा है न देश के लिए। देश के प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व बन जाता है।

यह एक ऐसा अवसर है जब माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। उसके लिए यह अवसर भी है कि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करे और यह सिद्ध करे कि संविधान के निर्माताओं द्वारा जो विश्वास न्यायपालिका में व्यक्त किया गया, वह गलत नहीं था और आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने में अब भी उतनी ही सक्षम है जितने पहले थी। एक प्रकार से यह समय न्यायपालिका की अग्नि परीक्षा का है।

-अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

ये प्राइवेट स्कूल हैं या नाथी का बाड़ा!

आरटीई का उद्देश्य गरीबों की शिक्षा था, लेकिन क्या व्यवस्था कहीं भटक तो नहीं गई ?



सुनील दत्त गोयल

कुछ वर्ष पहले राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश की व्यवस्था लागू की। इसका उद्देश्य बिल्कुल सही था। ऐसे बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिले और आर्थिक स्थिति उनकी शिक्षा के रास्ते में बाधा न बने।

लेकिन सवाल यह है कि इस व्यवस्था को लागू करते समय क्या निजी स्कूलों की वास्तविक परिस्थितियों और सरकार की अपनी जिम्मेदारियों पर पर्याप्त विचार किया गया? राजस्थान में बड़ी संख्या में निजी स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन, भवन और संसाधन अपने पैसे से खड़े किए हैं। उन्होंने भवन निर्माण, फायर सेफ्टी, स्थानीय विकास प्राधिकरण की अनुमति, बोर्ड की मान्यता, शिक्षकों की योग्यता और वेतन सहित तमाम नियमों और अनुपालनों को पूरा किया है। इसके बावजूद इन स्कूलों पर सरकार की तरफ से लगातार नए नियम और शर्तें लागू होती रहती हैं।

यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। जिन स्कूलों को सरकार से जमीन, आर्थिक सहायता या अन्य विशेष सुविधाएं मिली हैं, उनके लिए अलग नियम या अलग दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन जिन निजी स्कूलों ने पूरी तरह अपने संसाधनों से व्यवस्था खड़ी की है, उनके साथ नीति बनाते समय यह अंतर जरूर देखा जाना चाहिए।

आरटीई में सबसे बड़ी समस्या कहां पैदा हुई?

आरटीई का मूल उद्देश्य गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा का अवसर देना था। लेकिन व्यवहार में कई बार ऐसे परिवार भी इस व्यवस्था का लाभ उठाते दिखाई देते हैं जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में उनकी पहुंच या जानकारी मजबूत है। कई बार अभिभावक सरकारी स्तर से अनुशंसा या आवंटन लेकर अपने घर के आसपास के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में बच्चे का प्रवेश चाहते हैं। स्कूल के पास सरकार की ओर से आया आदेश है, इसलिए उसे प्रवेश देना पड़ता है।

एक दूसरी समस्या बच्चे के शैक्षिणक स्तर की है। मान लीजिए कोई बच्चा नर्सरी, केजी या पहली कक्षा में उस स्कूल की नियमित व्यवस्था से नहीं पढ़ा है और बाद की कक्षा में आरटीई के माध्यम से सीधे प्रवेश ले लेता है। उस कक्षा में पहले से पढ़ रहे बच्चों का शैक्षिणक स्तर अलग हो सकता है। ऐसे में शिक्षक के लिए उस बच्चे को उसी स्तर पर लाना आसान नहीं होता। इसका असर केवल शिक्षक पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी कक्षा की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए आरटीई में सिर्फ प्रवेश सुनिश्चित करना ही पर्याप्त नहीं है। बच्चे के शैक्षिणक स्तर, उसकी जरूरत और उसे अतिरिक्त सहायता देने की व्यवस्था पर भी ध्यान देना जरूरी है।

अभिभावक संघ भी सवालों के घेरे में :-इसके बाद एक और समस्या सामने आती है। कुछ जगहों पर अभिभावक संघ स्कूलों पर अनुचित दबाव बनाने लगे हैं। शिकायतों, विरोधों और अलग-अलग मांगों के माध्यम से स्कूल प्रबंधन को लगातार दबाव में रखा जाता है।

अभिभावकों की शिकायतों का समाधान होना चाहिए, लेकिन शिकायत और दबाव की राजनीति में अंतर होना जरूरी है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो संगठन स्कूलों के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वे वास्तव में संबंधित बच्चों और अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग केवल स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए ऐसे संगठनों का इस्तेमाल कर रहे हों?

सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी: भुगतान -आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश मिलने के बाद बच्चे की शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और दूसरी आवश्यकताओं का खर्च भी स्कूल को उठाना पड़ता है। इसके बदले सरकार की ओर से होने वाले सूक्ष्म भुगतान में देरी की शिकायतें भी लंबे समय से सुनने को मिलती रही हैं।

अगर किसी स्कूल को महीनों या वर्षों तक उसका वैध भुगतान समय पर नहीं मिलता, तो उसका सीधा असर स्कूल की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आखिर निजी स्कूल भी एक संस्था है। वहाँ शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, बिजली-पानी का खर्च है, भवन का रखरखाव है और दूसरे प्रशासनिक खर्च हैं। सरकार यदि किसी निजी संस्था से अनावश्यक अपनी नीति लागू करवा रही है, तो उस संस्था को उसका उचित भुगतान समय पर करना भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे दुखद बात यह है कि आरटीई के तहत प्रत्येक कक्षा की 25 प्रतिशत सीटें निर्धारित वर्ग के बच्चों के लिए रखी जाती हैं। उदाहरण के लिए, 300 बच्चों की कक्षा में 75 बच्चों तक को के तहत प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन जिन निजी स्कूलों की जमीन, भवन और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर संचालकों ने अपने पैसे से खड़ा किया है, उन पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को कम या बिना शुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी डालने से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ना स्वाभाविक है।

ऐसे में सवाल है कि राजस्थान में कौन निजी निवेशक शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगाएगा और नए स्कूल या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा? शिक्षा की गुणवत्ता के लिए लगातार निवेश जरूरी है। इसलिए सरकार को निजी स्कूलों को दबाव में लाने के बजाय ऐसा संतुलित मॉडल बनाना चाहिए, जिसमें गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्कूलों को समय पर भुगतान हो और निजी निवेश भी प्रोत्साहित हो। निजी क्षेत्र को समस्या नहीं, शिक्षा व्यवस्था का सहयोगी समझना होगा।

सरकार अपने स्कूलों की हालत भी देखे :-यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि निजी स्कूलों पर नियम लागू करने वाली सरकार क्या अपने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी उतनी ही सख्ती से नजर डालती है?

अक्सर खबरें आती हैं कि किसी सरकारी स्कूल की इमारत जर्जर है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं शौचालय की कमी है, कहीं भवन ही पर्याप्त नहीं है और कहीं बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। अगर निजी स्कूलों से भवन, फायर सेफ्टी, शिक्षकों की योग्यता, वेतन, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम मानकों को पूरा करने की अपेक्षा है, तो सरकारी स्कूलों में भी इन मानकों का पालन उतनी ही गंभीरता से होना चाहिए।

समाधान निजी स्कूल बंद करना नहीं है :-भारत जैसे देश में निजी स्कूलों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लाखों बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और लाखों परिवारों की शिक्षा व्यवस्था इन पर निर्भर है।

इसलिए सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे निजी स्कूलों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, लेकिन बच्चों के अधिकार और शिक्षा की गुणवत्ता से भी समझौता न हो। आरटीई का उद्देश्य गरीब बच्चे को अच्छे स्कूल तक पहुंचाना था, न कि निजी स्कूलों को प्रशासनिक दबाव में लाना। सरकार को चाहिए कि आरटीई में वास्तविक रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की पहचान की व्यवस्था मजबूत करे। फर्जी या गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर रोक लगे। बच्चे के प्रवेश के साथ उसकी शैक्षिणक जरूरतों के लिए भी सहायता मिले। और निजी स्कूलों को मिलने वाला सरकारी भुगतान उचित एवं समयबद्ध तरीके से किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाए कि माता-पिता केवल इसलिए निजी स्कूलों की ओर न जाएं क्योंकि सरकारी स्कूलों में उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दुनिया के कई विकसित देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। भारत में भी सरकार को इसी दिशा में अपनी सरकारी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि निजी स्कूल को कैसे नियंत्रित किया जाए। पहला सवाल यह होना चाहिए कि सरकारी स्कूल इतना अच्छा कैसे बनाया जाए कि हर अभिभावक अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाहे।

निजी स्कूलों को नियमों के दायरे में रखना जरूरी है, लेकिन उन्हें लगातार हतोत्साहित करना समाधान नहीं है। अगर निजी क्षेत्र का निवेश और भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र से धीरे-धीरे बाहर होने लगी, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आखिरकार बच्चों और सरकार, दोनों को ही उठाना पड़ेगा। आरटीई का उद्देश्य निजी स्कूलों को कमजोर करना नहीं, बल्कि हर बच्चे को बेहतर शिक्षा का अवसर देना होना चाहिए।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

शिक्षा नीति: सब कुछ मिलेगा, सिवाय शिक्षा के



प्रोफेसर अशोक कुमार

■ शिक्षा पर एक व्यंगय...

एक शिक्षण संस्थान ने एक बहुत बड़े मंत्री जी को अपने संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर भाषण देने के लिए बुलाया। मंत्री महोदय ने कहा कि वह बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं है इसलिए उनको जो भी भाषण देना है वह आप लिख कर दे ताकि वह उसको शिक्षण संस्थान में वैसे ही बोल दे। शिक्षण संस्थान के प्राचार्य ने शिक्षा नीति के ऊपर अच्छा सा भाषण तैयार करके मंत्री जी को भेज दिया। मंत्री जी जब शिक्षण संस्थान में भाषण देने के लिए गए तब उन्होंने प्राचार्य महोदय से पूछा कि भाषण में अपने शिक्षा नीति के बारे में सब बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हैं लेकिन आपने यह नहीं लिखा की शिक्षा नीति में क्या कमी है या इसमें क्या कमजोरी है या इसमें क्या चीज मिसिंग है। ऐसा कौन विषय हैं जो कि इस नई शिक्षा नीति में नहीं है। प्राचार्य महोदय ने शिक्षा मंत्री से कहा की पहली बार देश में ऐसी नीति आई है जिसमें सिर्फ छात्रों की सिर्फ भलाई भलाई है! छात्रों का कोई भी नुकसान नहीं है। इस नीति से उनका सर्वांगीण विकास होगा। मंत्री जी संस्थान से बहुत प्रभावित दिख रहे थे। मंत्री जी ने कॉलेज में प्रवेश किया और उसके बाद छात्रों के बीच में भाषण शुरू कर दिया। फूल, माला और तालियों के साथ उनका सम्मान हुआ। मंत्री महोदय बहुत ज्यादा भावुक हो गए। उन्होंने अपना भाषण भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हम छात्रों को साइकिल प्रदान कर रहे हैं , क्योंकि साइकिल की सवारी स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी होती है। और इसलिए आप देखिएगा कि धीरे-धीरे विश्व में साइकिल की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अत: हमने यह तय किया है कि हर विद्यालय में सभी बच्चों को साइकिल के पंचर बनाने का कौशल विकास का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह हमारी एक योजना है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को रोजगार भी मिलेगा और देश मे बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आप जानते हैं आजकल विश्व भर में जलवायु, में परिवर्तन हो रहा है , ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और समय-बेसमय पर पानी बरसता रहता है। इसलिए इस मौसम में लोग चाय और पकौड़ी खाना पसंद करते हैं।

अत: हमने यह भी निश्चित किया है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को पकौड़ी तलना भी सिखाया जाएगा ताकि उनको पकौड़ी तलने का कौशल प्राप्त होगा जिसे वह अपना एक रोजगार भी बना सकते हैं। इसी तरह से हमने सभी छात्रों के लिए एक बैंक में अकाउंट भी खोल दिया है और इस अकाउंट में वह कितने घंटे अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय में पढ़ेंगे या रहेंगे, उसे वह अपनी इस बैंक मे जमा करवा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए बैंक अकाउंट खोलने के साथ-साथ उनको एक एटीएम कार्ड भी इशू किया जाएगा वह जब चाहे एटीएम कार्ड से अपने पढ़ाई के घंटे को निकाल सकते हैं और कहीं भी खर्च कर सकते हैं।

उन्होंने इस प्रकार से विद्यार्थियों को बताया की नई नीति में आप विद्यालय में जब आए तब आए जब चले जाना चाहे तब चले जाएं आपके कोई रोक-टोक नहीं है। छात्र मंत्री जी के भाषण से अत्यंत प्रभावित हुए। लगभग 1 घंटे भाषण के बाद मंत्री जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में शिक्षण संस्थान से वापस जाने लगे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने प्राचार्य से पूछा कि अब तो सब भाषण भी समाप्त हो गया , अब तो कम से कम बता दीजिए की शिक्षा नीति में क्या कमी है ? प्राचार्य ने हाथ जोड़ कर बड़ी विनम्रता से मंत्री जी से बताया की शिक्षा नीति में सिर्फ छात्रों का सर्वांगीण विकास ही है। बस कमी सिर्फ़ एक चीज़ की है , मंत्री जी ने बड़े उत्साहित होकर पूछा कौन सी कमी है। प्राचार्य महोदय ने बताया इस नीति में सिर्फ शिक्षा की कमी है। युवाओं का सर्वांगीर्ण विकास हो रहा है लेकिन शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है।

प्रोफेसर अशोक कुमार
पूर्व कुलपति गोरखपुर , कानपुर विश्वविद्यालय

हरियाणा में चल रहे ट्रक का बीकानेर में चालान काटा

■ पीड़ित वाहन मालिक ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर को आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर किया

बीकानेर, (निसं)। परिवहन विभाग में नियम विरुद्ध और बिना भौतिक जांच के ई-चालान काटने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के समय राजस्थान की सीमा से बाहर हरियाणा में स्थित एक चार चक्का ट्रक का बीकानेर बाईपास पर फर्जी चालान जारी कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित वाहन मालिक द्वारा एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर को एक औपचारिक कानूनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर चालान को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाहन स्वामी ओमप्रकाश, निवासी, बहबलपुर, हिसार, हरियाणा के 4-चक्का ट्रक का चालान बीकानेर बाईपास पर परिवहन निरीक्षक कपिल देव चौधरी द्वारा काट दिया गया। जबकि, उसी तारीख को दोपहर 1:31 बजे उक्त वाहन हरियाणा के हिसार स्थित लैंडहरी टोल प्लाजा से गुजर रहा था, जिसकी फास्टैग/टोल रसीद और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। भौगोलिक दृष्टि से मात्र 4 घंटे के भीतर बीकानेर से हिसार पहुंचना किसी भी सूरत में संभव नहीं है।

ई-चालान पोर्टल पर अपलोड की गई फोटो स्पष्ट रूप से किसी 10-चक्का ट्रक की है, जबकि प्रार्थी का पंजीकृत वाहन 4-चक्का ट्रक है। इससे साफ जाहिर होता है कि परिवहन निरीक्षक द्वारा बिना किसी जांच-पड़ताल और भौतिक सत्यापन के, केवल नंबरों की हेराफेरी या घोर लापरवाही के चलते यह फर्जी चालान जारी किया गया है।

मामले की पैरवी कर रहे बीकानेर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बीकानेर सिटीजन एसोसिएशन के प्रतिनिधि एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर आम जनता और वाहन स्वामियों का प्रशासनिक उत्पीड़न है। जब वाहन बीकानेर में मौजूद ही नहीं था और पोर्टल पर फोटो भी किसी अन्य 10-चक्का वाहन की लगी है, तब भी चालान जारी कर देना परिवहन विभाग निरीक्षक की घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। हमने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर के समक्ष वाहन स्वामी की ओर से कानूनी आपत्ति पत्र के साथ लैंडहरी टोल प्लाजा की रसीद व प्रस्तुत कर दी है। हमारी मांग है कि इस अवैध चालान को अविलंब निरस्त किया जावे और बिना जांच किए फर्जी चालान बनाने वाले संबंधित परिवहन निरीक्षक कपिल देव चौधरी के विरुद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। यदि विभाग द्वारा जल्द न्याय नहीं दिया गया तो हम इस मामले को उच्च अधिकारियों एवं न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे।

राशिफल रविवार 6 अक्टूबर, 2026



पंडित अनिल शर्मा

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत-2083, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 12:14 तक, परिद्य योग दिन 12:32 तक, तैतिल करण सायं 4:53 तक, चन्द्रमा आज सायं 6:32 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवि पुष्य योग रात्रि 12:14 से सूर्योदय तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 12:14 से आरम्भ होगा। आज मातृ नवमी का श्राद्ध और सौभाग्य वतीना श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- चर 7:52 से 9:20 तक, लाभ अमृत 9:20 से 12:16 तक, शुभ 1:40 से 3:07 तक

राहुकाल- 4:30 से 6:00 तक, सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:07



मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज नये-पुराने मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।



सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।